बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

संख्याः– टी०आर०यू० (दीर्घ०यो०)–33/2014– 1861 पटना, दिनांकः– 3/4/14

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 26 की उपधारा (2) के साथ पठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2012–13 के व्यवसाय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैंः–

(1) वैसे व्यवसायी, जो अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए दाखिल की जाने वाली कोई भी विवरणी विहित समय–सीमा/विस्तारित समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहे हों।

(2) वैसे व्यवसायी, जिनपर ''सुविधा'' प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 61 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक घोषणा प्रपत्र के प्रयोग नहीं करने के कारण या उसके दुरूपयोग करने के कारण एक बार भी अर्थदण्ड का अधिरोपण किया गया हो।

(3) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में धारा 53 के अधीन विहित Tax Invoice/ Retail Invoice के बिना माल की बिक्री की गयी हो।

(4) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में कभी भी असत्य/गलत/त्रुटिपूर्ण इन्वॉयसों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया हो।

(5) वैसे व्यवसायी, जिनके संबंध में पिछले तीन वर्षों में कभी भी खरीद–बिक्री के छिपाव का मामला सामने आया हो।

(6) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रपत्र E-I/ E-II और प्रपत्र–'सी' के आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3(b) एवं 6(2) के आलोक में ट्रांजिट सेल का दावा किया गया हो।

(7) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में दो लाख से अधिक का ट्रेड डिस्काउंट, बोनस, इन्सेंटिभ, रीवेट, टर्नओभर डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट आदि का दावा किया गया हो।

(8) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए दाखिल वार्षिक विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड की राशि रु० एक लाख से अधिक दर्शायी गयी हो।

(9) वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए धारा 54(2) अथवा धारा 54(3) के साथ पठित नियम 33(5) के अधीन वांछित प्रतिवेदन विहित समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया हो।

(10) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में कभी भी सीमावर्ती देशों यथा नेपाल/बांग्लादेश/म्यांमार को कर देय वस्तुओं का निर्यात बिक्री की गयी हो और उसका दावा विवरणी में प्रदर्शित किया गया हो।

(11) वैसे कार्य संवेदक (सरकारी उपक्रम को छोड़कर), जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए दाखिल विवरणी में सकलागम रु० 10 करोड़ से अधिक दर्शाया गया हो।

(12) वैसे व्यवसायी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कभी भी कर देय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय आयात किया हो।

(13) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्लाईवुड, हार्डवेयर, सैनीटरी गुड्स एण्ड फीटींग्स, ऑटोपार्ट्स, फुटवेयर, टिम्बर, चश्मा, मार्बल एवं ग्रेनाइट का राज्य के बाहर से आयात कर बिक्री किया गया हो।

(14) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यान्तर्गत स्थित अपने ही विनिर्माण इकाई से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री की गयी हो, साथ ही वैसे वस्तुओं की अलग से Trading भी की गयी हो।

(15) वैसे व्यवसायी, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रु० 2 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत कर के रूप में भुगतान किया गया हो।

(16) वैसे व्यवसायी, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए रु० 50 लाख से अधिक की कर प्रतिपूर्त्ति प्रदान की गई हो।

(17) वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए देशी शराब, मशालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित्त विदेशी शराब के सभी थोक व्यवसायी।

निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है:–

(1) धारा 15(1), 15(4) एवं 15(1A) के अधीन लघु करदाता योजना एवं समाहितीकरण के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायी।

(2) पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी यथा, पेट्रोल पम्प।